बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 395361 पटना, दिनांक:- 31/10/18

ग्रा0वि0-5/इ0आ0यो0(नि0आ0पूर्ण)-103-102/2016

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी उप विकास आयुक्त,

बिहार ।

विषय:- इंदिरा आवास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन लंबित आवासों की पूर्णता तथा योजना के बंद करने से संबंधित प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या- J-11060/01/2017-RH (A/C); 354567 दिनांक- 12.09.2018 द्वारा मंत्रालय के स्तर पर दिनांक-26.07.2018 को आयोजित बैठक में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत लंबित आवासों की पूर्णता एवं योजना को बंद करने के संबंध में लिये गये निर्णय से संबंधित कार्रवाई के आलोक में निम्न बिंदु पर सूचानएँ प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है:-

A. The number of incomplete IAY houses as on 01.04.2018
B. Total fund available under IAY as on 01.04.2018
C. Financial requirement for completion of those houses that can be completed.
   i The number of incomplete houses that can be completed
   ii Financial requirement for completion of such houses
      (a) States Share
      (b) Central Share
D. Financial burden of houses that cannot be completed.
   i . The number of houses which cannot be completed, i.e. houses that require actions like write off
   ii Financial burden towards such houses------
      (a) Central Share----------
      (b) States Share----------
E. Total Financial implication for completion of incomplete IAY houses (C-ii.b) + for write-off of houses (D-ii.a)------
   i Fund to be met from available IAY Funds with the State-----
   ii Fund required as Central Share (reimbursement mode) for completion/write-off of incomplete IAY houses----

विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन आरंभ होने के बाद इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने के लिए वर्ष 2016 से ही समय-समय पर दिशा-निर्देश दिये जाते रहे है तथा लक्ष्य निर्धारण कर विषेश अभियान चला कर आवासों की पूर्णता कराने का विशेष दिशा-निर्देश भी दिये गये है । निर्माणाधीन आवासों के लाभार्थी को देय लंबित सहायता राशि के भुगतान हेतु सिंगल पेज इंट्री के संदर्भ में भी दिशा-निर्देश दिये गये ।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजना को बंद करने के लिए सभी निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने के साथ हीं सभी निर्माणाधीन एवं अपूर्ण आवासों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त निर्देश एवं अपेक्षित सूचना के संदर्भ में विभागीय पत्रांक- 376763 दिनांक-27.06.2018 द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिनांक-30.06.2018

तक विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश जिलों को दिया गया था । विभागीय पत्र संख्या- 379507 दिनांक-18.07.2018 एवं विभागीय पत्रांक-383348 दिनांक- 08.08.2018 द्वारा स्मारित करने के बाद भी जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सकें ।

अतः भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त वांछित सूचना के संदर्भ जिलों से संबंधित सूचनाएँ विभाग को दिनांक- 30.10.2018 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय । यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वांछित सूचना भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध नहीं कराये जाने पर संबंधित वित्तीय दायित्व का वहन राज्य सरकार को करने की स्थिति हो सकती है, जिसके लिए संबंधित पदाधिकारियों का दायित्व निर्धारण किया जाना बाध्यकारी हो जाएगा ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज) 29/10

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 395361 पटना, दिनांक 31/10/18

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलयी आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

29/10